le: Regarding crop cutting and the insurance claim by agencies in Churu, Rajasthan.

श्री राहुल कस्वां (चुरू): सभापति महोदय, बीते हुए चार-पांच सालों से प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का एक बेहतरीन फायदा मेरे लोक सभा क्षेत्र को मिला है । मेरे लोक सभा क्षेत्र चुरू के अंदर हनुमानगढ़ जिले में तीन तहसील लगती हैं- नोहर, भादरा और रावतसर । इन तीनों तहसीलों के ऊपर जो इंश्योरेंस कम्पनी है, वह एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी है, जो बीमे का काम देखती है । पिछले साल 2021 में जो खरीफ का बीमा कटा था, बीमा कटने के पश्चात इंश्योरेंस कम्पनी ने राजस्थान सरकार के समक्ष क्रॉप कटिंग के इश्यु को लेकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई ।

सभापति महोदय, क्रॉप कटिंग की जो व्यवस्था है, उस क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट पर पटवारी या कृषि पर्यवेक्षक, बीमा कम्पनी का अधिकारी और एक किसान के सिग्नेचर होते हैं । उसी के आधार पर किसान को क्लेम मिलता है ।... (व्यवधान) सभापति महोदय, मैं दो मिनट का समय लेना चाहूंगा । इश्यु इस बात का है कि मेरे पूरे लोक सभा क्षेत्र के अंदर और हनुमानगढ़ जिले के नोहर, भादरा और रावतसर में स्पेशली क्रॉप कटिंग का काम किया गया । फिर भी इंश्योरेंस कम्पनी ने राजस्थान सरकार के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराई और अचंभे की बात यह है कि राजस्थान सरकार की जो स्टेट लेवल टेक्नीकल असेसमेंट कमेटी है, उस कमेटी ने उस रिपोर्ट को स्वीकार भी कर लिया है । जब बीमा कम्पनी के अधिकारियों के द्वारा क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट में सिग्नेचर किए हुए थे, उसके बावजूद भी उस कमेटी के द्वारा उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया गया । राजस्थान सरकार की कमेटी ने और उनके प्रशासन के अधिकारियों ने भारत सरकार को सैटेलाइट के आंकड़े मांगने के लिए पत्र लिखा । एक तरफ तो राजस्थान सरकार के पदाधिकारीगण भारत सरकार से आंकड़े मांगते हैं और दूसरी तरफ वहीं के लोकल विधायक शिकायत दर्ज कराते हैं कि भारत सरकार ने सैटेलाइट के आंकड़े क्यों दिए? पिछली बार खरीफ में किसान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और आज हम वर्ष 2022 की खरीफ की फसल के समय खड़े

हैं । पिछली बार का क्लेम आज तक मिला नहीं । मेरा आपके मार्फत अनुरोध है कि भारत सरकार राजस्थान सरकार को यह लिखकर भेजे कि स्टेक (STAC) की कमेटी के अंदर पहले इस बार सुनिश्चित किया जाए कि कितने पटवार मंडलों में क्रॉप कटिंग के अंदर इश्ंयोरेंस कम्पनी के सिग्नेचर हुए हैं । अगर सिग्नेचर हुए हैं तो किसानों को सैटेलाइट के आंकड़ों के आधार पर बीमा न दिया जाए, सिर्फ क्रॉप कटिंग के आधार पर बीमा क्लेम दिया जाए । मेरा आपसे यही अनुरोध है । धन्यवाद ।